:

प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 04.04.2024

दस्तावेजों की कूटरचना कर बैक से ऋण लेने व रूपयों का गबन करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में,क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सहजनवां के नेतृत्व में उ0नि0 विकास मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 578/2022 धारा 419,420,467,468,471,406 भा0द0वि0 से संबंधित अभियुक्त परिपूर्णानन्द त्रिपाठी पुत्र धीरेन्द्र त्रिपाठी निवासी ग्राम धनेवा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण कुल 301 लोगों के फर्जी आधार कार्ड बनवाकर एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुलवाकर, आशिर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड सहजनवा से 1,25,59735.00 रू0 (एक करोड पच्चीस लाख उनसठ हजार सात सौ पेतीस रूपए) ऋण लेकर फर्जी नाम पता से रू0 6,40,850/- (छः लाख चालीस हजार छः सौ पचास रू0) ग्राहकों के लोन अकाउंट में जमा करके शेष अमाउंट रू0 1,19,19,085/- (एक करोड़ उन्नीस लाख उन्नीस हजार पचास्सी रूपए) का गबन कर लिया गया। आडिट किये जाने पर अवैध आधार कार्ड व दस्तावेज पाये जाने पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

परिपूर्णानन्द त्रिपाठी पुत्र धीरेन्द्र त्रिपाठी निवासी ग्राम धनेवा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 578/2022 धारा 419,420,467,468,471,406 भा0द0स0 थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार की टीम-

1. थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विकास मिश्रा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
3. का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
4. का0 संदीप कुशवाहा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर